न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 286/2026

1. सबनूर खान पुत्र श्री कायमूद्दीन, उम्र करीबन 28 साल, निवासी अफगान कुर्सथ रूरल सफीपुर, पुलिस थाना आसीवन, जिला उन्नाव (यू.पी.), हाल बगरिया मोड दुबग्गा, पुलिस थाना दुबग्गा, जिला लखनउ (यू.पी.)
2. मौहम्मद मुस्तजहर नासिर पुत्र श्री इकरार अहमद, उम्र करीबन 42 साल, निवासी 536/940 सीतापुर रोड न्यू मदेयगं, खदरा, निराला नगर लखनउ (यू.पी.), हाल मकान नंबर 541 रिफा कॉलोनी कैम्पल रोड, पुलिस थाना ठाकुरगंज, जिला लखनउ (यू.पी.), हाल किरायेदार साहू बिल्डिंग बबलू एस.आर.टी. के सामने की बिल्डिंग कैम्पल रोड, पुलिस थाना ठाकुरगंज, जिला लखनउ (यू.पी.)

---**प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---**विपक्षी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2025, पुलिस थाना साईबर, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 143(2), 318(4), 319(2), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 24 Emigration Act 1983 व 66डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री अमजद खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 17.03.2026

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सबनूर खान व मौहम्मद मुस्तजहर नासिर की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2025, पुलिस थाना साईबर, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी अमनप्रीत ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना साईबर, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि माह अगस्त 2025 को उसके जीजा अन्शु सिंह ने कहा कि उसका दोस्त रोहित शर्मा विदेश में नौकरी करने गया था। रोहित को उसने फोन से सम्पर्क किया, तो रोहित ने उसे शही अहमद का नंबर दिया। उसने शही अहमद से बात की तो

उसने बताया कि मयान्यार बॉर्डर पर कोर मिक्सी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी बताई और 70,000/-रूपये सैलेरी बताई और कहा कि एक टिकट और रिर्टन टिकट का पैसा देना होगा, तो उसने North star1985@ybi यू.पी.आई. पर 19000 और 4500 रूपये पे कर दिये थे। उसके बाद वह दिल्ली एयरपोर्ट Indigo Flights से मयान्यार गया। वह दिनांक 05.09.2025 को वहां पहुंचा, जहां एक व्यक्ति उसे होटल पर लेकर गया। दिनांक 06.09.2025 को सुबह 05 बजे एक व्यक्ति उसे कार में लेकर जंगल वाले रास्तों से लेकर गया और रात को 11 बजे उसे कंपनी पहुंचा दिया और वहां मौजूद व्यक्तियों ने उससे 01 साल के सटाम्प पर हस्ताक्षर करवाये। उसके बाद वहां पर चाईनीच स्कैम करवाते थे और जबरदस्ती काम करने के लिए बोलते थे। उसने वापस घर जाने के लिए कहा, तो वे उससे भारत का 10 लाख रूपये मांगते थे। दिनांक 21.10.2025 को कंपनी पर रेड पड गई, उसने कंपनी में सम्पर्क किया, तो उन्होंने पुलिस को सरैंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने उनको सरैंडर कर दिया और उनको कैम्प में छोड दिया, कैम्प में 116 इंडियन्स थे। उसके बाद दिनांक 19.11.2025 को सभी इंडियन्स को भेज दिया.....इत्यादि।

3- उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2025, पुलिस थाना साईबर, जिला अलवर पर अपराध अंतर्गत धारा 143(2), 318(4), 319(2), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 24 Emigration Act 1983 व 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 10.03.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कथन किया है प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में झूंठा फंसाया गया हैं। परिवादी अमनप्रीत द्वरा जो रिपोर्ट पुलिस थाना साईबर में दर्ज कराई है, उसमें उसने स्वयं को विदेश में नौकरी करने के लिए जाना बताया है और नौकरी दिलाने के लिए उसके द्वारा रोहित व राही अहमद नाम के व्यक्ति से सम्पर्क करना बताया है साथ ही North star कंपनी को पैमेंट करना बताया है। परिवादी को विदेश में नौकरी दिलाने के संबंध में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कभी परिवादी से सम्पर्क नहीं किया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से परिवादी का कोई लेना-देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम भी अंकित नहीं है। प्रकरण में विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नवयुवक हैं, जिनके पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि अनुसंधान के दौरान संदिग्ध मोबाईल नंबर व यू.पी.आई. आई.डी, जिसमें पैमेंट किया गया था, उसके संबंध में जांच किए जाने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि संदिग्ध खाता व उसमें मोबाईल नंबर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आई.डी. से जुडा होना पाया गया है। राही अहमद नाम का व्यक्ति, जो भारत से विदेश में नौकरी दिलाने की बात करता है वह विदेश में रहकर भारतीय फोन की आई.डी. से व्यक्तियों से बात करके, उन्हें विदेश में नौकरी करने का लालच देता है, जिसका फोन व आई.डी. भारत में प्रार्थी/अभियुक्त शबनूर से जुडा होना पाया गया है एवं जिस खाते में रकम अंतरित हुई है, वह प्रार्थी/अभियुक्त मौहम्मद मुस्तजहर नासिर से जुडा हुआ पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर विदेश में नौकरी दिलाने के संबंध में लोगों को प्रलोभन दिया है और विदेश में साईबर फ्रॉड के बडे कैम्प में लोगों को ले जाकर, बन्धक के रूप में काम करवाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण साईबर फ्रॉड के अपराध में लिप्त रहे हैं। वर्तमान में इस प्रकार के अपराध निरंतर बढते जा रहे हैं। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में बने रहकर, विभिन्न लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम से लोगों को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, उनसे रूपये प्राप्त करने व उनके साथ प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करने और लोगों का दुर्व्यापार कर, उनको नौकरी के नाम पर बंधक बनाकर, उनका शोषण करने संबंधी धारा 143(2), 318(4), 319(2), 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 24 Emigration Act 1983 व 66डी आई.टी.एक्ट के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न लोगों को प्रलोभन देकर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर साईबर फ्रॉड के कैम्प चलाने वाली संस्था में नौकरी दिलाने के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का साईबर फ्रॉड की घटना में लिप्त होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य लोगों को साईबर फ्रॉड से जुडे कैम्प में ले जाकर, उन्हें बंधक बनाकर, उनसे काम करवाने का मामला भी प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। इस तरह के साईबर फ्रॉड राष्ट्रीय स्तर पर बडे पैमाने पर कारित हो रहे हैं।

7- साईबर क्राईम के मामलों में अलवर क्षेत्र विगत कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात रहा है एवं अलवर के क्षेत्र विशेष में साईबर अपराधों का सेंटर बना होना भी विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया खबरों के माध्यम से पढने-सुनने को मिलता है। इस प्रकार के मामलों में यदि जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ठगी के मामलों को बढावा मिलेगा एवं इससे समाज में

न्यायालयों के प्रति अविश्वसनीयता की भावना बढेगी। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझता हूं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सबनूर खान पुत्र श्री कायमूद्दीन व मौहम्मद मुस्तजहर नासिर पुत्र श्री इकरार अहमद** की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)

9- आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)